कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक -729/ 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 14.09- 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कॉलोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैय्यापौड़ी तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.875 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ :– भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 60 / 2022 / एफ0सी0 / 817 दिनांक 14.09.2022.

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ द्वारा अपने पत्रांक 788 / 12–1 दिनांक 14.08.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रकरण प्रेषित किया गया है, जिसकी 03 प्रतियां मूल में संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रसन्न कुमार पात्रो)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

O/C

12 SEP 2023

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रॉक 788 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 14/08/ जुलाई 2023।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैय्या पोड़ी तोली ग्वालगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण के निर्माण हेतु 3.875 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No FP /UK / ROAD /120677 /2021)।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पंत्राक 8बी/यू0सी0पी0/06/60/ 2022/एफ0सी0/817 दिनांक 14.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में लगाई गई आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण निम्नलिखित है–

क्र.सं.	लगाई गई आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	The Villages proposed to be connected by the proposed road have scattered households. The proposed alignment with a width of 9m tries to connect each and every household rather than provide connectivity to the village. Further there is an existing road on the western side of the village proposed to be benefitted. Hence. the state Government is requested to comment on the feasibility of connecting the proposed village with the existing road on the western side.	बिन्दु सं0 01 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग के निर्माण से लाभान्वित होने वाले तोली व द्वालगांव की आबादी एक साथ न होकर उस क्षेत्र में जगह–जगह अवस्थित है। प्रस्तावित मोटरमार्ग से लाभान्वित होने वाले गॉव तोली तथा द्वालगांव Western side में Existing Road बलुवाकोट पैय्यापोड़ी मोटर मार्ग से कमशः लगभग 2.500 किमी0 व 7.00 किमी0 की दूरी पर स्थित होने के कारण existing मोटरमार्ग से संयोजित नहीं है। प्रस्तावित मार्ग का समरेखण बलुवाकोट पैय्यापोड़ी मार्ग (Existing Road) के किमी0 17.00 से प्रारम्भ होकर स्थानीय ग्रामीणो, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहमति, भौगोलिक स्थिति व मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी आधार पर मानको के अनुसार वांछित ग्रेड निर्धारित करते हुए स्वीकृत करवाया गया है। प्रस्तावित मार्ग हेतु स्थानीय ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों की विगत काफी समय से मांग पर मा0 मुख्यमत्री उत्तराखण्ड सरकार की घोषणा के अन्तर्गत स्वीकृत है।
2	Considering the scattered nature of the population which the proposed route intents to connect the width of the proposed route may be restricted to 7m. The tree enumeration details for the 7m width shall be submitted.	विषयक परियोजना हेतु 7 मी0 चौडाई में वृक्षों की गणना कर गणना सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3	NPV is calculated at older rates. state Govt. is requested to submit@upload NPV calculation sheet as per the latest rates.	नई दरों के अनुसार NPV की गणना कर प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है तथा उक्त की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
4	The proposed CA area of 7.75 ha contains 6.0 ha MDF which is not suitable for planting trees @ 1000 trees per hectare. The State Govt. is requested to either replace this area with other suitable area for raising CA @ 1000 tree per hectare or provide any suitable degraded forest land for planting 6000 balance number of plants with all requisite details.	प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पुनः नई भूमि चयनित कर सम्बन्धित समस्त प्रपत्र अपलोड कर दिये गये है। उक्त क्षेत्र की डी0एस0एस0 रिपोर्ट संलग्न है।

5–	The State Govt. is requested to review the CA scheme again and submit it as per the rate prevailing in the State of Uttarakhand.	पुनः CA Sheme नई दरो पर तैयार कर अपलोड कर दी गई है।
6–	This project is within Eco Sensitive Zone of the Askot Wildlife Sanctuary. Therefore the comments of Chief Wildlife Warden are required about applicability of Wildlife Clearance along with requirement of animal passage plan if any.	बिन्दु सं0 06 के कम में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक स्तर को पत्र प्रेषित किया गया है।
7–	The propsal involves 0.5 ha area for muck dumping. Therefore. the State Govt. is requested to submit the separate enumeration list of trees lying in this area.	मक डिस्पोजल क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षो की सूची से सम्बन्धी प्रपत्र पार्ट 2 में अपलोड व संलग्न कर प्रेषित है।
8–	The villages to be connected are not clearly shown with labels on the KML.The State Govt. is requested to clearly mark the locations of concern villages in the KML uploaded in online portal.	प्रस्तावक विभाग द्वारा KML पर लाभान्वित गांवो को अंकित कर पार्ट 1 में अपलोड कर दी गई है।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

O/C